कार्यालय कलेक्टर, जिला सिंगरौली (म०प्र०)

क्रमांक/2147/भू-अर्जन/22 सिंगरौली दिनांक 18/11/2022

प्रति,

कलस्टर हेड,
स्ट्राटाटेक मिनेरल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड
जिला सिंगरौली(म0प्र0)

विषय :- **मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरेल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड को आवंटित धिरौली कोल ब्लाक हेतु भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 17 के तहत अनुमोदित पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती प्रेषित किये जाने बावत।**

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि सिंगरौली जिले में स्थापित स्ट्राटेक मिनरेल रिसोर्सेस प्राईवेट लिमिटेड परियोजना को आवंटित धिरौली कोल ब्लॉक हेतु माननीय कमिश्नर महोदय द्वारा अनुमोदित भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 17 के तहत जारी भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीती को संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न:- कमिश्नर महोदय द्वारा अनुमोदित पुर्नवास नीति

संयुक्त कलेक्टर
जिला सिंगरौली (म.प्र.)

धिरौली कोल माइन परियोजना,

(मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड)

जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

के लिए

पुनर्वास एवं पुर्नव्यस्थापन नीति

धारा 11 अधिसूचना दिनांक 15/02/2022

पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति
धिरौली कोल माइन परियोजना

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले की तहसील सरई में स्थित धिरौली कोल ब्लॉक को कोयला मंत्रालय के पत्र क. NA-104/7/2020-NA दिनांक 03 मार्च 2021 के द्वारा **मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड** को धिरौली कोल ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

धिरौली कोल माइन परियोजना हेतु निजी भूमि के अर्जन के लिए भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

धारा–4 के अंतर्गत जारी अधिसूचना – दिनांक 02.06.2021
धारा–11 के अंतर्गत जारी अधिसूचना – दिनांक 15.02.2022

सिंगरौली जिले में एपीएमडीसी सुलियरी कोल माइन परियोजना एवं टीएचडीसी अमिलिया कोल माइन परियोजना के लिए भी भू–अधिग्रहण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं दोनों परियोजनाओं के लिए कमशः वर्ष 2018 एवं 2019 में म0प्र0 की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में समाविष्ट प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये तैयार की गई पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति का अनुमोदन माननीय आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। अतः एपीएमडीसी की सुलियरी कोल माइन की पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति 2018 एवं टीएचडीसी की अमिलिया कोल माइन परियोजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास नीति 2019–20 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये एवं विस्थापितों के प्रतिकर सुविधाओं में समानता लाने हेतु धिरौली कोल माइन परियोजना के लिए पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन नीति तैयार की गई है, जो अनुमोदन के दिनांक से प्रभावशील हो जायेगी।

धिरौली कोल ब्लाक, **मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड** परियोजनान्तर्गत तहसील सरई के अतंर्गत परियोजना प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवयर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत निम्नानुसार ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है ।

क.	तहसील	ग्राम का नाम	कुल निजी भूमि का अर्जित रकवा हे. में
1	सरई	आमडाड	5.17
2	सरई	सिरसवाह	0.62
3	सरई	बेलवार	11.60
4	सरई	बासीबेरदाह	147.67
5	सरई	अमरईखोह	43.056
कुल योग			208.116

उपरोक्तानुसार धिरौली कोल ब्लाक परियोजना (मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड) हेतु निजी भूमि अर्जन से प्रभावित/विस्थापित परिवारो का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित है।

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति

भाग–1

परिभाषाऍ–

01. कम्पनी–कम्पनी से तात्पर्य **मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड** धिरौली कोल माइन परियोजना जिला सिंगरौली से है।

02. **प्रभावित क्षेत्र**–प्रभावित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे गॉव या बस्ती से है जिसमे परियोजना स्थापित करने के लिए निजी, शासकीय एवं वन भूमियो का चयन किया गया है, चाहे इन निजी भूमियों का अर्जन भू–अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानो के तहत किया गया हो या सीधे भूमि स्वामियों से क्रय किया गया हो, या शासन के द्वारा शासकीय भूमि आवंटित या वन भूमियों का व्यपवर्तन किया गया हो, किन्तु जो भू–भाग परियोजना से छोड़ा जा रहा है वह क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र नही माना जावेगा। जिसे राजस्व अभिलेख नक्शा एवं खसरा मे चिन्हित किया गया हो।

03. **विस्थापित व्यक्ति** – कोई व्यक्ति जो प्रभावित क्षेत्र में धारा 11 के अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख 15.02.2022 के 03 वर्ष पूर्व से अपने गृहस्थ जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के साथ निवास करता हो, विस्थापित व्यक्ति कहलायेगा। किन्तु यदि कम्पनी द्वारा भूमिस्वामियों से सीधे भूमि क्रय की गई है तथा उस भूमि का भू–अर्जन नही किया गया है तो भूमि की रजिस्ट्री दिनांक को कटऑफ दिनांक माना जायेगा तथा उस परिवार के लिये परिवार की परिभाषा इस नीति के कण्डिका 4 (क) के अनुसार मान्य की जावेगी।

04. विस्थापित परिवार –

(क)–उपरोक्त (कण्डिका 3 मे) परिभाषित विस्थापित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमे पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ–विधवा मॉ, विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता–पिता शामिल है।

(ख)–विस्थापित परिवार के प्रत्येक बालिग पुत्र, अविवाहित पुत्री, अविवाहित बहन एवं भाई जो धारा 11 की दिनांक 15.02.2022 को बालिग (18 वर्ष या ऊपर) हो गया है वह पृथक परिवार के रूप मे माना जावेगा।

(ग)– परियोजना प्रभावित क्षेत्र के ऐसे अनाथ नाबालिग बच्चो (जिनके माता–पिता न हो) को पुनर्वास लाभ दिये जाने के लिये एक अलग यूनिट माना जावेगा।

05. भू–विस्थापित परिवार –

ऐसा भूमि स्वामी जिसकी निजी भूमि के अर्जन हेतु एवार्ड पारित किया गया हो या उनकी निजी भूमि परियोजना हेतु क्रय की गई हो, उसका परिवार भू–विस्थापित परिवार कहलायेगा, चाहे वह अर्जन क्षेत्र में निवास कर रहा हो या नही। वारिसाना नामान्तरण से बने दिनांक 15/02/2022 को बालिग भूमि स्वामियों को भी अलग भू–विस्थापित परिवार माना जायेगा।

06. प्रभावित व्यक्ति–

ऐसा व्यक्ति जो अर्जन क्षेत्र में स्थित भूमि पर धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 15.02.2022 के पूर्व 03 वर्ष से भूमि पर खेती कर रहा हो या अन्य उद्यमों द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो और उस ग्राम मे अस्थाई/स्थाई रूप से निवास करता हो।

07. प्रभावित परिवार–

उपर्युक्त (कण्डिका 06) में परिभाषित प्रभावित व्यक्तियों से बना परिवार जिसमे पति, पत्नी तथा नाबालिग बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ–विधवा मॉ, परित्यक्ता ,विधवा बहन, अविवाहित बहन, अविवाहित पुत्री या वृद्ध माता–पिता शामिल है।

08. **विस्थापन दिनांक** – प्रत्येक विस्थापित परिवारों को रिहायसी मकान खाली कर अधिग्रहित/आवंटित/व्यपवर्तित भूमि का भौतिक आधिपत्य पूर्ण रूप से कम्पनी को सौंपने के दिनांक को विस्थापन दिनांक माना जायेगा।

09. **परियोजना के प्रभावितो की श्रेणी**–

(क)–ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के पूर्व परियोजना प्रभावित क्षेत्र मे लगातार तीन वर्ष से खेती कर रहा हो किन्तु ग्राम मे स्थाई या अस्थाई रूप से निवास नही कर रहा हो और भू–अर्जन मे उसकी पूर्ण या आंशिक भूमि अधिग्रहीत कर ली गई हो।

(ख)–ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से स्वयं के मकान या किराये के मकान मे स्थाई रूप से ग्राम मे निवास कर कोई लघुउद्योग, व्यापार, या कोई अन्य उद्यम कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा हो।

(ग)–ऐसा कृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम मे निवास कर खेती से जुड़े हुए कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हो।

(घ)–ऐसे अकृषि श्रमिक जो भूमिहीन है, तथा धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से खेती से जुड़े हुए कार्य तो नही करते किन्तु उस ग्राम मे निवास कर कृषि से जुड़े हुए अन्य कार्य कर अपने परिवार का जीवन यापन करते हो।

(ड0)–ऐसे परिवार जो धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन की दिनांक के तीन वर्ष पूर्व से ग्राम मे अस्थाई रूप से निवास कर कृषि कार्य तो नही करते किन्तु वनोपज द्वारा अपने परिवार का जीवन यापन करते हो।

10. **पुनर्वास अनुदान की शर्ते**–कण्डिका 09 मे वर्गीकृत प्रभावित परिवार, यदि उक्त मे से एक या एक से अधिक श्रेणी मे आते है तो उन्हें एक ही श्रेणी से प्रभावित मान कर पुनर्वास लाभ दिये जाने हेतु पात्र समझा जावेगा

11. **रिहायशी मकान** : रिहायशी मकान से तात्पर्य वैसे मकान से है जिसमे कोई परिवार या व्यक्ति स्थायी रूप से भूमि अर्जन की प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि 15.02.2022 के तीन वर्ष पूर्व से अपने गृहस्थ जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के साथ निवास करता हो।

भाग–2
(व्यक्तिगत लाभ)

01. पुनर्वास अनुदान–

पुनर्वास अनुदान के रूप प्रत्येक विस्थापित परिवार को (मकान खाली करने के उपरान्त) विस्थापन उपरान्त 300 कार्य दिवस की मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवार्ड दिनांक को प्रचलित न्यूनतम कृषि मजदूरी (MAW) की दर से परिगणित राशि का भुगतान एक मुश्त किया जावेगा।

02. (अ–1)–**मकान/प्लाट का आवंटन** – परियोजना से विस्थापित परिवार को 90X60 वर्गफुट का प्लाट पुनर्वास के लिए चयनित ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे दिया जावेगा, जिसमे कम्पनी के द्वारा मकान का निर्माण कराया जावेगा। यदि विस्थापित परिवार के द्वारा कम्पनी द्वारा निर्मित मकान नही लिया जाता है तो उसके एवज में मकान निर्माण के लिए 6.00 लाख रू0 कम्पनी द्वारा देय होगा। यदि कोई परिवार पुनर्वास कालोनी मे प्लाट नही लेना चाहता है तो उसे प्लाट के बदले 2.50 लाख की राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि कोई विस्थापित परिवार प्लाट एवं मकान दोनो नही लेना चाहता है तो उसे प्लाट के बदले 2.50 लाख रू0 एवं मकान के बदले 6.00 लाख रू0, कुल मिलाकर 8.50 लाख रू0 देय होगा।

(अ–2)–कैटल शैड/छोटी दुकान हेतु अनुदान – पशु या छोटी दुकान रखने वाला प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो न्यूनतम 75,000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(ब) प्लाट का स्वत्वाधिकार–पुनर्वास कालोनी में विस्थापितो को कंपनी के आवंटन पत्र के आधार पर संबंधित तहसीलदार द्वारा विहित प्रारूप पर पट्टा जारी किया जावेगा। जिस पर विस्थापित व्यक्ति को भूमिस्वामी के समस्त अधिकार प्राप्त होगें एवं तहसीलदार के द्वारा जारी पट्टे के आधार पर नामान्तरण किया जा सकेगा। पट्टेदार भूमिस्वामी को विधि अनुसार भूमि के अन्तरण का अधिकार होगा।

04. **विस्थापन कुटुम्बों के लिए परिवहन खर्च** – प्रत्येक विस्थापित परिवार को भवन सामग्री घरेलू सामान व परिवार तथा पशुओ के दुसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक मुश्त राशि रूपये 60,000.00/–(साठ हजार रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

05. **वृद्धावस्था पेंशन**–प्रत्येक विस्थापित महिला एवं पुरूष सदस्य जिसकी उम्र विस्थापन दिनांक को 60 वर्ष की हो चुकी है उन्हें प्रतिमाह 2000.00 (दो हजार) रू0 की दर से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान आजीवन अथवा धिरौली कोल ब्लॉक बन्द होने तक दिया जावेगा (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सूचकांकन किया जायेगा)।

06. **शिक्षा एवं छात्रवृत्ति**– परियोजना क्षेत्र से विस्थापित होने वाले प्रत्येक परिवार के बच्चो के अध्ययन के लिये खेल के मैदान सहित सर्व सुविधा युक्त विद्यालय भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे कराया जावेगा। इस विद्यालय मे कक्षा नर्सरी से 10+2 स्तर तक हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम(सीबीएसई बोर्ड एवं डी.पी.एस. स्टैंडर्ड या उसके समकक्ष) से अध्ययन हेतु विद्यालय संचालित किया जायेगा तथा अध्ययन करने वाले बच्चो को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी, एवं विस्थापित परिवार के अध्ययन करने वाले प्रत्येक बच्चे को पुस्तके, लेखन सामग्री, स्कूल यूनीफार्म की व्यवस्था कम्पनी द्वारा निःशुल्क की जावेगी। विद्यालय मे अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्सोहित करने के लिए कम्पनी द्वारा प्रतिमाह निम्नानुसार छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जावेगी–

कक्षा	बालक	बालिका
नर्सरी से 12 तक	700	900

10वीं एवं 12वीं कक्षा के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को 50,000 रू0 दिया जावेगा।

07. **चिकित्सा सुविधा**–

कंपनी के द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे 20 बेड युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच. सी) संचालित किया जावेगा जिसमें प्रसूति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औषधालय भण्डार, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान होगा। इस चिकित्सालय मे परियोजना से विस्थापित/प्रभावित परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

08. **महुआ एवं तेन्दू पत्ता संग्रहण भत्ता**–

प्रत्येक विस्थापित परिवार जो महुआ या तेन्दूपत्ता का संग्रहण करके अथवा अन्य वनोपज/वनाधिकार से अपने परिवार का जीवन यापन करता था, जिसकी पुष्टि वनविभाग द्वारा जारी किये गये समुचित दस्तावेजों से होती है उसे तो न्यूनतम 500 कार्य दिवसों की मध्य प्रदेश शासन द्वारा एवार्ड दिनांक को प्रचलित न्यूनतम कृषि मजदूरी दर से परिगणित राशि जो रू0 100000.00 (एक लाख) से कम नही होगी, एक मुश्त देय होगी।

09. विस्थापित परिवार को नौकरी, प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति–

क. प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को परियोजना की आवश्यकता एवं योग्यतानुसार कम्पनी या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार में, रोजगार/नौकरी उपलब्ध कराने मे प्राथमिकता दी जावेगी। अशिक्षित विस्थापितों को परियोजना क्षेत्र मे हो रहे निर्माण कार्यों में अकुशल श्रमिक के रूप रोजगार उपब्लध कराये जाने मे प्राथमिकता दी जावेगी। परियोजना मे रोजगार के लिए विस्थापित व्यक्ति अपना नाम परियोजना प्रतिनिधियों के पास दर्ज करायेंगें। इस कार्य में संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच का सहयोग अपेक्षित रहेगा। परियोजना प्रबंधक द्वारा समय–समय पर परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए स्क्लि डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाये जावेगे ताकि परियोजना से विस्थापित परिवारों की कुशलता का विकास हो सके एवं उन्हे बेहतर रोजगार के अवसर एवं परियोजना में रोजगार मिल सके !

भू अर्जन के विरूद्ध रोजगार देने के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग तथा महिलाएं, जिनकी भूमि का अर्जन परियोजना हेतु किया जा रहा है तो ऐसे विस्थापित परिवार के सदस्यों में से परिवार के मुखिया द्वारा नामित व्यक्ति को रोजगार देने में प्राथमिकता दिया जायेगा। तथा इस संबंध में केन्द्र एवं राज्य में प्रचलित अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ख. रोजगार/नौकरी की व्याख्या–

रोजगार/नौकरी से तात्पर्य है कि कम्पनी के द्वारा किसी विस्थापित परिवार को परियोजना में या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार के माध्यम से सीधे नियुक्ति आदेश जारी करते हुए नियमित रूप से मासिक वेतन दिया जाकर नियमित कर्मचारियों की भॉती नियमित कटौती किया जाता है। यह नौकरी कम्पनी या फिर कंपनी द्वारा नियुक्त एम.डी.ओ./संविदाकार के नियमानुसार होगा।

ग. यदि कम्पनी द्वारा विस्थापित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी मे नही लिया जाता है या वह स्वयं नौकरी नही करना चाहता है तो उस परिवार के एक सदस्य को स्वरोजगार के लिए रू0 6.00 लाख (रू0 छः लाख) अनुदान राशि का एक मुश्त भुगतान या फिर 2800/– (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल माह में सूचकांकन किया जायेगा) प्रति माह वार्षिकी (Annuity) 20 वर्ष तक कम्पनी द्वारा दिया जायेगा।

घ. बेरोजगारी भत्ता–

परियोजना से विस्थापित हो रहे परिवारों में से हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को विस्थापन दिनांक से 03 वर्ष के अन्दर यदि कम्पनी द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता है तो उस व्यक्ति को तत्कालिन प्रचलनशील न्यूनतम शासकीय कृषि मजदूरी दर (MAW) के मान से परिगणित राशि, जो कि रू0 7200/– प्रति माह से कम नहीं होगा, दिया जावेगा। यदि परिवार के मुखिया कोई महिला सदस्य है तो उसे भी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। किन्तु यह बेरोजगारी भत्ता विस्थापन दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक देय होगा, बसर्ते उस परिवार के एक व्यस्क सदस्य को स्वरोजगार के लिए कम्पनी द्वारा रू0 6.00 लाख एक मुश्त राशि या 2800/– (यह राशि कृषक श्रमिकों के सूचकांक के हिसाब से प्रतिवर्ष अप्रैल में सूचकांकन किया जायेगा) प्रति माह वार्षिकी (Annuity) 20 वर्ष तक का शुरूआत नहीं किया गया हो।

ड. रोजगार व नौकरी के विकल्पो का चयन –

यदि कोई विस्थापित व्यक्ति कंडिका घ में उल्लिखित रोजगार/नौकरी के एवज में बेरोजगारी भुगतान की शुरूआत पश्चात रोजगार/नौकरी के एवज में एक मुश्त देय राशि के विकल्प का चयन करता है तो वैसी स्थिति में कम्पनी द्वारा एक मुश्त राशि के भुगतान दिनांक तक भुगतान की गयी बेरोजगारी भत्ता की राशि को घटाकर शेष राशि प्रदान किया जावेगा।

च. विस्थापितों को प्रशिक्षण– कम्पनी के द्वारा अकुशल विस्थापितों के लिए निःशुल्क औद्यौगिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आयोजित कराये जायेंगें, तथा प्रशिक्षित विस्थापितों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान विस्थापित परिवार के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें एक सदस्य को 1000/– प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

10. **स्वयं का रोजगार**– कम्पनी के द्वारा विस्थापितों के अन्दर स्वयं का रोजगार स्थापित करने की क्षमता को विकशित करने के लिए कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण आयोजित कराये जायेंगें।

क. विस्थापित परिवार के सदस्यों को सहकारी समितियों के माध्यम से या व्यक्तिगत ठेके के माध्यम से कार्य मे लगाया जावेगा।

ख. कम्पनी के आवश्यतानुसार, विस्थापितों के द्वारा क्रय किये गये वाहनो को कम्पनी के कार्य मे लगाये जाने मे प्राथमिकता दी जावेगी।

ग. पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे निर्मित की गई दुकानो का आवंटन विस्थापित परिवारो को निःशुल्क किया जावेगा इनके लिए 90 प्रतिशत दुकानो का आरक्षण किया जावेगा। उक्त आरक्षण मुख्यतः किराना जनरल स्टोर, दवाई, दूध ब्रेड, लॉण्ड्री, सब्जी, फल आदि की दुकानो के लिए किया जावेगा। इन्ही दुकानो मे से एक दुकान उचित मूल्य की दुकान के लिए सुरक्षित रखी जावेगी। दुकान आवंटन का प्राथमिकता क्रम में निम्न वर्गों में आन्तरिक आरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत लॉटरी निकाल कर किया जायेगा। उक्त आवंटन 03 वर्ष तक किया जायेगा। 03 वर्ष बाद पुनः आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। आवंटिती को स्वंय दुकान का संचालन करना पड़ेगा, अन्य को अन्तरित नहीं कर सकेगा। आवंटिती द्वारा दुकान के दुरूपयोग पर आवंटन निरस्त किया जायेगा। दुकान आवंटन का प्राथमिकता कम निम्नानुसार है :–

1. महिला द्वारा संचालित स्व–सहायता समूह (सभी वर्गो के लिए)।
2. शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति (सभी वर्गो के लिए)।
3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति।
4. अनुसूचित जाति के व्यक्ति।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति।
6. महिला मुखिया से चलने वाले परिवार के सदस्य (सभी वर्गो के लिए)।
7. सामान्य वर्ग के व्यक्ति।

किन्तु यदि उक्त कमांक 01 से 07 तक निश्चित की गई श्रेणियों के आवंटन के लि पात्र कई व्यक्तियों के आवेदन पत्र दुकान प्राप्त करने के लिए लाये जाते है तो ऐसी स्थिति में दुकान की उपलब्धता के अनुसार लाटरी सिस्टम से उस वर्ग के व्यक्ति को दुकान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

11. **श्रमकारी ठेका समितियों का गठन** – श्रम ठेका समितियों का गठन परियोजना से विस्थापित परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जावेगा। परियोजना की आवशकतानुसार छोटे निर्माण अथवा अन्य कार्य कराये जाने में इन समितियों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी। ऐसी स्व–रोजगार समिति एवं समूहो के गठन संबंधी समस्त कार्यवाही कम्पनी द्वारा की जावेगी। इन समितियों का पंजीकरण उप पंजीयक सहकारी समितियॉ के द्वारा कराया जायेगा।

जिला प्रशासन कम्पनी और पंजीकृत श्रम समिति के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया जावेगा, जिसके आधार पर ऐसी समिति को परियोजना मे कार्य दिया जा सकेंगा।

12. **मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क में छूट** –

परियोजना से प्रभावित/विस्थापित व्यक्तियों द्वारा विस्थापन होने के पश्चात यदि कृषि भूमि खरीदी जाती है तो मध्य प्रदेश की आदर्श पुनर्वास नीति 2002 की कंडिका (29.3) के तहत विस्थापित परिवारों को कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अधिग्रहण से प्रभावित क्षेत्रफल के बराबर क्रय की गई भूमि का मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क कम्पनी द्वारा देय होगा। इस कार्य से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किये गये मुआवजे का सही उपयोग किया जा सकेगा, और कृषि रोजगार को बढ़ावा भी मिलेगा।

भाग–3
पुनर्वास कालोनी एवं उसमें दी जाने वाली सुविधाएँ

01. विस्थापितो के लिए चयनित ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई में पुनर्वास हेतु तैयार किये गये भवनों के साथ जुड़ी हुई निम्नलिखित सुविधाएं विस्थापितों को उपलब्ध कराई जावेगी :–

(क) **विद्यालय भवन–** पुनर्वास कालोनी में विस्थापितो के बच्चो के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु सर्वसुविधा युक्त हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन का निर्माण कम्पनी द्वारा कराया जायेगा। इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को खेलने के लिए खेल के उपकरणों सहित खेल के मैदान की व्यवस्था की जायेगी। पुस्तकालय में हर वर्ष 50000/–रू0 (पचास हजार) फण्ड दिया जायेगा। जिसका उपयोग स्कूल के प्राचार्य द्वारा पुस्तक खरीदने मे किया जायेगा।

(ख) **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–** कंपनी के द्वारा पुनर्वास ग्राम जट्ठाटोला तहसील सरई मे 20 बेड युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किया जावेगा जिसमें प्रसूति गृह, पैथोलाजी लैब, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष, बाह्य रोगी चिकित्सा कक्ष, औषधालय भण्डार, अभिलेखागार, कार्यालय एवं प्रतीक्षा गृह, पेय जल आदि का प्रावधान होगा। इस चिकित्सालय मे परियोजना से विस्थापित/प्रभावित परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी।

(ग) **सामुदायिक भवन–** पुनर्वास कालोनी के लिए एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जावेगा जिसमें एक हाल, एक कार्यालय कक्ष, एक पुस्तकालय एवं एक भण्डार गृह सम्मिलित होगा।

(घ) **हाट बाजार परिसर–** विस्थापितों के जीवन से जुड़ी आवश्यक सामग्रियों के प्रदायगी को सुलभ बनाने के लिए पुनर्वास कालोनी परिसर में साप्ताहिक बाजार लगाये जाने के लिए 5000 वर्गमीटर परिमाप की भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। साप्ताहिक बाजार में लाइट, चबूतरा, टीनशेड, पानी पीने की व्यवस्था, पार्किंग की जगह रहेगी।

(ड0) **सार्वजनिक खेल का मैदान–** विस्थापितो के बच्चों को खेलने के लिए पुनर्वास कालोनी में खेल के मैदान के लिए 10,000 वर्गमीटर (01 हे0) के परिमाप मे भूमि सुरक्षित रखी जावेगी। खेल के मैदान का विकास एवं सुधार कम्पनी द्वारा किया जावेगा। शौचालय एवं आर0ओ0 प्लांट लगेगा। स्कूल मे खेलकूद हेतु 20,000 रू0 का फण्ड प्रति वर्ष दिया जावेगा।

(च) **शुद्ध पेय जल व्यवस्था–** विस्थापितो को पीने के लिए पानी की व्यवस्था हेतु ओवर हेड टैंक बनाकर पाइप लाईन से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी। यदि यह योजना सफल नही होती तो प्रत्येक 20 परिवार के लिए एक हैण्डपम्प लगाये जाने को प्राथमिकता दी जायेगी।

(छ) **उचित मूल्य की दुकान–** विस्थापितों को शासकीय दर पर खाद्यान्न सुलभ कराने हेतु एक उचितमूल्य की दुकान की स्थापना की जायेगी।

(ज) **ऑगनवाड़ी केन्द्र–** विस्थापित परिवारो के बच्चों, कुमारी कन्याओं एवं गर्भवती महिलाओं, के पोषण आहार की सुलभ व्यवस्था के लिए पुनर्वास कालोनी में ऑगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

(झ) **मंदिर/मस्जिद/गिरिजाघर की स्थापना –** पुनर्वास कालोनी मे विस्थापितों के धार्मिक अनुष्ठान, पूजन आदि की व्यवस्था के लिए आवष्यकतानुसार मंदिर/मस्जिद/ गिरिजा घर का निर्माण कराया जावेगा।

(ञ) **सड़क–** विस्थापितों के आवागमन की सुविधा के लिए पुनर्वास कालोनी को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए 12 मीटर चौड़ी पक्की सड़क एवं कालोनी के अन्दर 09 मीटर चौड़ी पक्की सड़क का निर्माण कराया जावेगा।

(ट) **सड़क विद्युत (स्ट्रीट लाईट)–** विस्थापितों के प्रकाश युक्त आवागमन की सुविधा के लिए आन्तरिक एवं बाह्य सड़कों को विद्युत से प्रकाशित किया जायेगा।

(ठ) **जल प्रभाव के लिए पक्की नालियॉ–** विस्थापितों की कालोनी मे बने हुए आवासीय मकानों की जल निकासी के लिए सड़क के किनारे पक्की नालियों का निर्माण कराया जायेगा।

(ड) **श्मसान/कब्रिस्तान परिसर–** विस्थापितों के उपयोग हेतु कालोनी परिसर की बाह्य सीमा में विस्थापितों की सहमति के अनुसार श्मसान/कब्रिस्तान का निर्माण कराया जावेगा। जिसमें पानी की व्यवस्था एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कराया जायेगा।

नोट :— परियोजना द्वारा स्थापित पुनर्वास ग्राम की समस्त सुविधाएं तथा रोड पंचायत भवन इत्यादी ग्राम पंचायत की सम्पत्ति होगी।

(ढ) शौंचालयों की व्यवस्था— पुनर्वास कालोनी में विस्थापितों को आवंटित किये जाने वाले कम्पनी द्वारा निर्मित प्रत्येक मकानों में शौंचालयों की सुविधा का प्रावधान रखा गया है तथा सभी सार्वजनिक भवनों जैसे विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवन, ऑगनवाड़ी, हाट बाजार परिसर इत्यादि में उचित संख्या में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए पृथक—पृथक सामूहिक शौंचालयों का निर्माण कराया जायेगा।

02. **विशेष पैकेज—** परियोजना प्रभावित वह व्यक्ति जो परियोजना के अधिग्रहण क्षेत्र में धारा 11 की अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के 03 वर्ष पूर्व से खेती करता चला आ रहा हैं, और उसकी निजी भूमि अर्जित कर ली गई है, किन्तु वह उस ग्राम मे मकान बनाकर आवाद नही है, जिसकी प्रमाणिकता वर्ष 2018—2019 के राजस्व अभिलेख से सिद्ध पाई जाती है, तो उन्हें भूमि की प्रतिकर राशि के अतिरिक्त निम्नानुसार विशेष पैकेज कम्पनी द्वारा दिया जावेगा:—

क— 0.01 से 0.99 हे0 भूमि पर	—	रू0 1500 प्रति परिवार प्रतिमाह।
ख— 1.00 हे0 से 1.99 हे0 भूमि पर	—	रू0 2000 प्रति परिवार प्रतिमाह।
ग— 2.00 हे0 से 3.99 हे0 भूमि पर	—	रू0 2500 प्रति परिवार प्रतिमाह।
घ— 4.00 हे0 से ऊपर	—	रू0 3000 प्रति परिवार प्रतिमाह।

उपरोक्त राशि प्रभावित परिवार के मुखिया को उसकी उम्र 50 वर्ष पूर्ण होने तक अथवा 20 वर्ष तक अथवा कम्पनी के बन्द होने तक जो भी पहले हो दिया जायेगा। किन्तु उपरोक्त विशेष लाभ उस परिवार को देय नही होगा जिसका कोई भी एक सदस्य परियोजना के रोजगार मे नियोजित हैं। विशेष पैकेज हेतु पात्र व्यक्ति के रकवे का निर्धारण अवार्ड में अंकित रकवे से किया जायेगा।

भाग—4

विवादो का निपटारा—

यदि किसी प्रकरण में विस्थापन की पात्रता के निर्धारण या विस्थापन से संबंधीत अन्य किसी मामले मे विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो प्रभावित व्यक्ति के द्वारा आवेदन करने पर कलेक्टर द्वारा निराकरण किया जावेगा जो दोनो पक्षों को मान्य होगा। कलेक्टर का आदेश अन्तिम एवं उभयपक्ष पर बाध्यकारी होगा।

राजीव रंजन मीना
कलेक्टर
जिला—सिंगरौली (म.प्र.)

बच्चा प्रसाद
कलस्टर हेड
स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिर्सोसेस
प्राईवेट लिमिटेड
जिला—सिंगरौली (म.प्र.)